

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

निविदा सूचना संख्या: मा0शि0प0/मु0/बिक्री/34

/2024-25 दिनांक:- 04 दिसम्बर, 2024

माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाँचों क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/ वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज में स्थित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 की प्रयुक्त/अप्रयुक्त उत्तर पुस्तक, जनपदों से वापस प्राप्त अप्रयुक्त सादी उत्तर पुस्तक, अन्य मिली-जुली रद्दी एवं ओ0एम0आर0 शीट की बिक्री/नीलामी हेतु आमंत्रित अल्पकालीन जेम-फारवर्ड ऑक्शन

आमंत्रित अल्पकालीन जेम-फारवर्ड ऑक्शन सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना पत्रक

1-	आमंत्रित जेम-फारवर्ड ऑक्शन का नाम	माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाँचों क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/ वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज में स्थित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 की प्रयुक्त/अप्रयुक्त उत्तर पुस्तक, जनपदों से वापस प्राप्त अप्रयुक्त सादी उत्तर पुस्तक, अन्य मिली-जुली रद्दी एवं ओ0एम0आर0 शीट की बिक्री/ नीलामी
2-	जेम-फारवर्ड ऑक्शन प्रस्तुत करने का प्रकार	जेम-फारवर्ड ऑक्शन (www.gem.gov.in)
3-	जेम-फारवर्ड ऑक्शन का प्रकार	जेम-फारवर्ड ऑक्शन (अल्पकालीन)
4-	अनुबन्ध का प्रकार	सेवा स्तर अनुबन्ध
5-	चयन का तरीका	अधिकतम मूल्य मूल्यांकन (H-1)।
6-	जेम-फारवर्ड ऑक्शन का अनुमानित मूल्य	जेम-फारवर्ड ऑक्शन प्रपत्र में अंकित विवरण के अनुसार।
7-	जेम-फारवर्ड ऑक्शन सम्बन्धी जिज्ञासा/स्पष्टीकरण प्राप्त होने की अन्तिम तिथि	दिनांक:-16.12.2024 से दिनांक:-28.12.2024 पूर्वान्ह 11:00 तक।
8-	जेम-फारवर्ड ऑक्शन बिड खोलने की तिथि और पता	दिनांक:-28.12.2024 अपरान्ह 03:00 (कार्यालय अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज।)
9-	कार्य से सम्बन्धित अनुबन्ध की अवधि	सम्पूर्ण रद्दी सामग्री के लुग्दी बनाये जाने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने तक।
10-	बयाना जमा धनराशि (ई.एम.डी.)	जेम-फारवर्ड ऑक्शन प्रपत्र में अंकित विवरण के अनुसार।
11-	कार्यालय सम्पर्क सूत्र	E-Mail I.D.:- 1- roallahabad1@gmail.com 2- romeerut@gmail.com 3- robareilly@gmail.com 4- rovaranasi@gmail.com 5- upmsprogkp@gmail.com

(Handwritten signature)

जेम-निविदा (फारवर्ड ऑक्शन) नीलामी हेतु नियम व शर्तें

माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाँचों क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज में स्थित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024 की प्रयुक्त/अप्रयुक्त उत्तर पुस्तक, जनपदों से वापस प्राप्त अप्रयुक्त सादी उत्तर पुस्तक, अन्य मिली-जुली रद्दी एवं ओ0एम0आर0 शीट की बिक्री हेतु ऑनलाइन जेम-पोर्टल (www.gem.gov.in) के माध्यम से आमंत्रित नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन में अधिकतम (H-1) दर प्रस्तुत करने वाली फर्म/मिल को सामग्री दी जायेगी।



क्रम	सामग्री का विवरण	अनुमानित भार (कुन्तल में)				
		क्षे0का0, मेरठ	क्षे0का0, बरेली	क्षे0का0, वाराणसी	क्षे0का0, गोरखपुर	क्षे0का0, प्रयागराज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रयुक्त उत्तर पुस्तक	2481	1411	2975	1989	3808
2	जनपदों से वापस प्राप्त अप्रयुक्त सादी उत्तर पुस्तक	480	249	305	205	450.54
3	अन्य मिली-जुली रद्दी	25	00	10	10	25
4	ओ0एम0आर0 शीट	30	20	130	35	130
सामग्री क्रम 01, 02, 03 एवं 04 की ई0एम0डी0 की धनराशि		₹ 5,96,005.00	₹ 3,00,450.00	₹ 6,36,458.00	₹ 4,27,552.00	₹ 9,05,906.00

1. आमंत्रित नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन केवल ऑनलाइन जेम-पोर्टल (www.gem.gov.in) पर प्रस्तुत करना होगा। नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन की साइट (www.gem.gov.in) में किसी भी रूकावट या विलम्ब के लिए विभाग का नीलामीदाता/बोलीदाताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा।
2. रद्दी कागज को गलाकर लुगदी बनाने की क्षमता रखने वाली पंजीकृत पेपर मिलों/फर्मों/या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रतिभाग कर सकते हैं। फर्म/मिल को पत्थिंग/लुगदी से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
3. नीलामीदाता/बोलीदाता/फर्म/मिल (संस्था) द्वारा नीलामी प्रपत्र के निर्धारित प्रारूप-1 पर क्रम:-01 से 09 तक वाँछित समस्त सूचनाओं को पूर्ण करते हुए उससे सम्बन्धित समस्त अभिलेख जेम-पोर्टल (www.gem.gov.in) पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. नीलामी प्रपत्र के साथ ई0एम0डी0 के रूप में अनुमानित भार के अनुसार नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन प्रपत्र में निर्धारित दर की धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत योजना की प्रतिभूतियों के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज के अपर सचिव पदनाम से बंधक होगा। ई0एम0डी0 की धनराशि बोलीदाता/प्रोपराइटर/फर्म के खाता से बनी/निर्गत होनी चाहिए। यदि नीलामीदाता द्वारा एक से अधिक सामग्रियों हेतु बोली प्रस्तुत की जाती है तो उसके अनुसार समेकित धनराशि का ई0एम0डी0 प्रस्तुत कर सकता है।
5. नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन से सम्बन्धित ई0एम0डी0 की मूलप्रति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर/पंजीकृत डाक/अन्य माध्यम से नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पूर्व कार्यालय अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज के बिक्री अनुभाग को प्रस्तुत/उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार के विलम्ब के लिए परिषद कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

6. नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन में भाग लेने वाली फर्म/मिलों को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र तथा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र, जो वर्ष 2022 के पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा।
7. नीलामीदाता/बोलीदाता/फर्म/मिल (संस्था) के काली सूची एवं किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्त न होने का शपथ-पत्र ₹10.00 के स्टाम्प पेपर पर ऑनलाइन अपलोड कर मूल रूप में नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन की निर्धारित अन्तिम तिथि एवं समय के पूर्व कार्यालय अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज के विक्री अनुभाग को प्रस्तुत/उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन की जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं एवं अन्य सामग्रियों का निरीक्षण नीलामीदाता/बोलीदाता द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद, के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किया जा सकता है।
9. रद्दी सामग्रियों की मात्रा अनुमानित है, जिसकी मात्रा घट-बढ़ सकती है। अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज को यह अधिकार होगा कि वह सफल नीलामीदाता/बोलीदाता को वस्तुओं को उतनी ही मात्रा दें जितना उचित समझें। सफल निविदादाता/बोलीदाता को रद्दी सामग्री की तौल एवं परिवहन आदि पर होने वाले समस्त व्यय का वहन स्वयं करना होगा। परिषद द्वारा इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा। ढुलाई के दौरान फर्म/मिल द्वारा परिषद के कर्मचारियों एवं परिषद परिसर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/मिल का होगा।
10. फर्म/मिलों को सुरक्षा के समस्त मानकों को पूरा करने का दायित्व होगा, सामग्री ढुलाई के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सम्पूर्ण दायित्व फर्म/मिल का होगा, परिषद इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. सम्पूर्ण सामग्री उठाने का कार्य पूर्ण हो जाने पर कार्यपूर्ति का प्रमाण-पत्र देने पर ही धरोहर जमानत की धनराशि अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज द्वारा वापस की जा सकेगी। नीलामीदाता/बोलीदाता द्वारा परिषद को वास्तविक भार के अनुसार भुगतान करना होगा।
12. फर्मों द्वारा नीलामी में प्रस्तुत दरें प्रति कुन्तल के आधार पर प्रारूप-2 पर प्रस्तुत की जायेगी। फर्म द्वारा प्रस्तुत दरों में प्रचलित जी0एस0टी0 की दरें पृथक-पृथक सामग्रियों के अनुसार सम्मिलित कर प्रस्तुत करना होगा। फर्मों द्वारा निर्धारित दर प्रति कुन्तल (जी0एस0टी0 दर सम्मिलित) से अधिक की बोली (दरें) प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय बिड में प्रति कुन्तल अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाली (H-1) फर्म/बोलीदाता को कार्य करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
13. नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन में निर्धारित दर से अधिकतम दर प्राप्त न होने पर अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज द्वारा आमंत्रित नीलामी को निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।
14. नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन में अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर नीलामीदाता/बोलीदाता को नियमानुसार प्रचलित स्टैम्प ड्यूटी अदा करके ₹100.00 (रुपये सौ) मात्र के स्टाम्प



- पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा। नीलामीदाता/बोलीदाता ई0एम0डी0 की धनराशि को धरोहर धनराशि में समायोजित किये जाने के अनुरोध पर अपर सचिव का निर्णय अन्तिम होगा।
15. सफल नीलामीदाता/बोलीदाता को कार्यदेश निर्गत होने के उपरान्त ही रद्दी कागज/सामग्री माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज कार्यालय से कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा आदेशित निर्धारित अवधि में उठाया जाना अनिवार्य होगा।
 16. सामग्रियों के मूल्य का अनुमानित अग्रिम एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट जो अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज के पक्ष में देय होगा जमा करके बोर्ड परीक्षा वर्ष 2025 के दृष्टिगत परिषद द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत सामग्री उठाना होगा, ऐसा न करने पर फर्म द्वारा प्रस्तुत होने वाली सम्पूर्ण क्षति की वसूली राजस्व के रूप में नीलामीदाता/बोलीदाता से की जायेगी। बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण मूल्य के साथ-साथ प्रचलित दर पर जी0एस0टी0 कर भी नीलामीदाता/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार जमा करना होगा।
 17. फर्म/मिल (संस्था) के मालिक द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि यदि सामग्री उठाने आता है तो फर्म द्वारा इस आशय का अधिकार-पत्र एवं फोटोयुक्त प्रमाणित पहचान-पत्र परिषद को प्रस्तुत करना होगा।
 18. नीलामी की जा रही सामग्री अत्यन्त गोपनीय प्रकृति की है, अतः सामग्री की गोपनीयता बनाये रखना सम्बन्धित फर्म की जिम्मेदारी होगी।
 19. नीलामीदाता/बोलीदाता, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज से प्राप्त सामग्रियों को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा, अपितु इनको केवल लुगदी बनाने के प्रयोग में लायेगा और लुगदी बनाने का प्रमाण-पत्र कार्यालय अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ/बरेली/वाराणसी/गोरखपुर एवं प्रयागराज द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा, जिसके उपरान्त धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
 20. फर्म/मिल द्वारा नीलामी/अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन न किये जाने पर फर्म द्वारा जमा की गयी धरोहर की धनराशि कार्यालय द्वारा जब्त कर ली जायेगी, जिस पर नीलामीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
 21. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी पक्षों का मान्य होगा।
 22. किसी भी प्रकार की वाद-विवाद की स्थिति में वाद क्षेत्र सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय का जनपद न्यायालय होगा।


(भगवती सिंह)
सचिव।


नीलामी प्रपत्र (प्रारूप-1)

नीलामी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति (बोलीदाता)/फर्म/मिल/संस्था का विवरण

1.	नीलामीदाता/बोलीदाता के फर्म/मिल (संस्था) का नाम..... पंजीकरण संख्या:-..... वर्ष:-..... पता:-.....	नीलामीदाता/बोलीदाता फोटो
2.	ई0एम0डी की धनराशि:-रु0 दिनांक:-.....	अपलोड करें।
3.	मिल (संस्था) का पल्पिंग प्रमाण-पत्र।	अपलोड करें।
4.	नीलामीदाता/बोलीदाता/फर्म/मिल (संस्था) का पैन कार्ड।	अपलोड करें।
5.	फर्म की जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति।	अपलोड करें।
6.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र।	अपलोड करें।
7.	पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र जो जनवरी, 2022 से पूर्व का न हो।	अपलोड करें।
8.	काली सूची एवं आपराधिक संलिप्तता में शामिल ने होने का ₹10.00 (रूपये दस) मात्र के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र। (मूल रूप में)	अपलोड करें।
9.	वर्ष 2021-22 , 2022-23 एवं 2023-24 के आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति (सी0ए0 से ऑडिटेड)	अपलोड करें।

मैं नीलामी/फारवर्ड ऑक्शन की सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार करता हूँ।

नीलामीदाता का पूर्ण हस्ताक्षर:-.....

नीलामीदाता का पूरा नाम:-.....

पता:-.....

मोबाईल नम्बर:-.....

ई-मेल आई.डी.:-.....

फर्म की मुहर :-.....